निदेशक कक्ष / DIRECTOR'S CELL
क्रमांक / No: 131 (HO)
दिनांक DATE 18 JUN 2019
क.रा.बी.नि..उ.क्षे.का.,कोयम्बत्तूर ESIC,SRO,COIMBATORE

मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी.मार्ग,नई दिल्ली–2
e-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Tel : 011 23232373

स. एक्स-11/14/1/2018- योववि

दिनांक : 18.06.2019

परिपत्र

Circular

विषय :- क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में अंशदान की दर में कमी करने संबंधी संशोधन।

Sub: Amendment to Rule 51 of ESI (Central) Rules, 1950 regarding reduction in rate of contribution – reg.

उपरोक्त विषय पर अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 13.06.2019 को अधिसूचना सं. सं. सा.का.नि 423 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया है, की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में संशोधन किया गया है जो कि दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification published in the Gazette of India dated 13.06.2019 vide GSR 423(E), for information.

Rule 51 of ESI (Central) Rule, 1950 has been amended and shall be effective from 01.07.2019.

संलग्न – यथोपरि

18.06.19
(पी आर सिन्हा)
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय / विभागीय कार्यालय, को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941
No. 356] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2019

सा.का.नि 423 (अ).—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम-1950 में आगे संशोधन करने हेतु कतिपय नियमों का मसौदा सं. सा.का.नि. 121(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2019 के माध्यम से भारत का राजपत्र, (असाधारण) भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित है, जिससे शासकीय राजपत्र की प्रतियों जिसमें उक्त अधिसूचना है का प्रकाशन जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिनों की समापन अवधि से पूर्व सभी व्यक्तियों जो कि इससे प्रभावित हो सकते हैं से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए 15 फरवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गईं ;

और जबकि उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 95 में प्रदत्त शक्तियों से परामर्श के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 में आगे संशोधन हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) संशोधित नियम, 2019 कहा जाएगा ;
   (2) ये नियम 1 जुलाई 2019 से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम 1950 में नियम 51 में :-

   (क) खंड (क) में शब्द "मजदूरी का चार और तीन चौथाई प्रतिशत के समान" शब्द "मजदूरी का तीन और एक चौथाई प्रतिशत के समान" से प्रतिस्थापित होगा ;

(ख) खंड (ख) में "मजदूरी का एक और तीन चौथाई प्रतिशत के समान" शब्द "मजदूरी का तीन चौथाई प्रतिशत के समान" से प्रतिस्थापित होगा।

[फा.सं. एस-38012/01/2016-एसएस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

नोट :- मूल नियम सं. एसआरओ 212, दिनांक 22 जून, 1950 के माध्यम से भारत का राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 605(अ) दिनांक 03 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित हुए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2019

G.S.R. 423 (E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 121(E), dated the 15th February, 2019, as required by sub-section (1) of the section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 15th February, 2019;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the period specified above have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employee's State Insurance (Central) Amendment Rules, 2019;

   (2) They shall come into force on the 1st day of July, 2019.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 51, –

(a) in clause (a), for the words "equal to four and three-fourth per cent of the wages", the words "equal to three and one-fourth per cent. of the wages" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "equal to one and three-fourth per cent of the wages", the words "equal to three-fourth per cent. of the wages" shall be substituted.

[F. No. S-38012/01/2016-SS-I)

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950, and last amended by notification number G.S.R. 605 (E), dated 3rd July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.14 16:11:23 +05'30'